पोस्टल बैलट की सूचना

NOTICE OF POSTAL BALLOT

आरंभ की तिथि / COMMENCES ON : बुधवार, 27 फरवरी, 2019 / Wednesday, February 27, 2019

अंतिम तिथि / ENDS ON : गुरुवार, 28 मार्च, 2019 / Thursday, March 28, 2019

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया

UNITED BANK OF INDIA

प्रधान कार्यालय: युनाइटेड टॉवर

HEAD OFFICE : UNITED TOWER

11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता - 700001

11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata- 700001

सामग्री

पृष्ठा संख्या

नोटिस 1-10

CONTENTS

Page No.

Notice..11-20

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया / United Bank of India

प्रधान कार्यालय:11 हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता - 700001 / **Head Office**:11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata– 700001
दूरभाष / Telephone: (033) 2248 7471 **फैक्स/ Fax:** (033) 2231 1704
वेबसाइट/ Website: www.unitedbankofindi.com

पोस्टल बैलेट की सूचना

प्रिय शेयरधारक(कों),

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि यह सूचना सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, यथा संशोधित, और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (जिसमें कोई सांविधिक संशोधन या किसी भी समय में लागू संशोधन या पुर्नधिनियमन शामिल है) के नियम 22 के अनुसार युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया ("बैंक") के शेयरधारकों की सहमति विशेष संकल्प द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (ई-वोटिंग) सहित पोस्टल बैलेट के माध्यम से प्राप्त करने हेतु जारी की गयी है।

प्रस्तावित विशेष संकल्प और स्पष्टीकरण वक्तव्य, भौतिक तथ्यों और इसका कारण बताते हुए यहां संलग्न किया जाता है।

बैंक ने मेसर्स एस एन अनंथसुब्रमनियण एंड कं, कंपनी सचिव, थाने,की श्रीमती मालनी कुमार (सीओपी सं. 10980) या उनकी अनुपस्थिति में श्रीमती अश्वीनी वर्तक (सीओपी सं. 16723) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के संचालन हेतु संवीक्षक नियुक्त किया है ।

शेयरहोल्डर जो अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से करने के इच्छुक हैं, उनसे अनुरोध है कि वे सूचना एवं पोस्टल बैलेट फार्म में मुद्रित अनुदेशों एवं टिप्पणियों को ध्यान से पढें एवं पूरी तरह से भरे गए पोस्टल बैलेट फार्म संलग्न व्यवसाय उत्तर लिफाफा में संवीक्षक को संबोधित करते हुए कार्यकारी घंटे के समाप्ति के पूर्व, जो कि 5.00 अपराह्न है, गुरुवार, 28 मार्च, 2019 के पूर्व वापस करें। बैंक उसके लिए डाक व्यय वहन करेगा। शेयरधारक अपने खर्च पर भौतिक पोस्टल बैलेट फॉर्म भेजने के किसी भी अन्य तरीके का चयन कर सकते है।

बैंक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके विशेष प्रस्ताव पर मतदान के लिए ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है।

ई-वोटिंग सुविधा का चयन करने वाले इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे पोस्टल बैलेट सूचना के टिप्पणियों और ई-वोटिंग के लिए उसके अंतर्गत दिए गए अनुदेशों को पढ़ें। इस सूचना में पोस्टल बैलेट के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त वोट भी शामिल होगा।

संवीक्षक पोस्टल बैलेट की संवीक्षा पूरी करने के बाद प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी और सीईओ) या निदेशक मंडल द्वारा यथा प्राधिकृत बैंक के किसी अन्य निदेशक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी और पोस्टल बैलेट द्वारा वोटिंग का परिणाम शनिवार,30 मार्च, 2019 अपराह्न 5.00 बजे या उसके पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में घोषित किया जायेगा और स्टॉक एक्सचेजों, बैंक के वेबसाइट www.unitedbankofindia.com पर एवं सीडीएसएल पर सूचित किया जाएगा।

पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान बुधवार, 27 फरवरी, 2019 से शुरू होगा और गुरूवार, 28 मार्च, 2019 पर समाप्त होगा। विधिवत रूप से भरे गए पोस्टल बैलेट फॉर्म संवीक्षक के पास 05:00 बजे अपराह्न के पूर्व गुरूवार, 28 मार्च, 2019 तक पात्रता हेतु विचारार्थ पहूंच जाना चाहिए। उपरोक्त समय सीमा के बाद प्राप्त पोस्टल बैलेट को खारिज समझा जाएगा। ई-वोटिंग पोर्टल को सीडीएसएल द्वारा गुरूवार, 28 मार्च, 2019 को 05:00 बजे अपराह्न के तुरंत बाद अवरुद्ध कर दिया जाएगा।

विशेष संकल्प, यदि आवश्यक बहुमत से पारित किया गया, गुरूवार, 28 मार्च, 2019 को पारित किया गया माना जायेगा, जो कि पूर्णरूप से भरे गए पोस्टल बैलेट और ई-वोटिंग की प्राप्ति के लिए बैंक द्वारा तय की गई अंतिम तिथि है।

मद संख्या. 1

प्रीमियम सहित इस तरह के मूल्य पर सृजन, प्रस्ताव, जारी एव आबंटन करने हेतु अंकित मूल्य रू. 10/- प्रत्येक (रू.दस मात्र) के इक्विटी शेयरों की इतनी संख्या, यदि कोई हो, तो सेबी के विनियमन (जारी पूँजी एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 (सेबी आई सी डी आर विनियम) के अनुसार भारत सरकार की ओर से राष्ट्रपति को तरजीह के आधार पर कुल रू. 2,839 करोड़ से अधिक नहीं, विशेष संकल्प द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने के लिए और यदि उपयुक्त समझा जाता है, तो उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करें –

"संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 ("अधिनियम"), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार लागू प्रावधानों के अधीन एवं समय-समय पर संशोधित, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2010 ("बैंक विनियम"), (सेबी जारी पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2018 ("सेबी आईसीडीआर विनियम"), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता), विनियम, 2015 ("सेबी सूचीबद्धता विनियम") और इसमें कोई संशोधन या पुर्न-अधिनियमन, वित्त मंत्रालय का पत्र F. No. 7/23/2019-BOA-1, दिनांक 19 फरवरी, 2019 और 25 फरवरी, 2019 को निदेशक मंडल के अनुमोदन और भारत सरकार (जीओआइ), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, और / या ऐसे अन्य प्राधिकरी, जो इस संबंध में आवश्यक और उपयोज्य हो सकते हैं, इस तरह के अनुमोदनों, स्वीकृतियों, संस्वीकृतियों और मानदंडों और बशर्ते इस तरह के नियमों और शर्तों और / या ऐसे अधिकारियों द्वारा ऐसे अनुमोदनों की मंजूरी देते समय कोई संशोधन, यथा निर्धारित और जिसके संबंध में बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो सकता है (**"निदेशक मंडल"** इस संबंध में गठित या गठित की जाने वाली कोई **"समिति"** शामिल करेगा) इस तरह के अन्य अधिनियमों, नियमों, विनियमों, मार्गनिर्देशों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं, निदेशों का समय-समय पर यथा प्रयोज्य हो सकता है या इस तरह का कोई संशोधन या पुर्नअधिनियमन या उसका पुन: जारी किया जाना, बैंक के शेयरधारकों की सहमति से एतद द्वारा निदेशक मंडल के प्रस्ताव एवं भारत सरकार की ओर से राष्ट्रपति को आवंटन सृजन हेतु इस तरह के मूल्यों पर प्रत्येक को 10/- रुपये के इक्विटी शेयरों की संख्या सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय V के विनियमन 164 के अनुसार नकदी के लिए अधिमानी आधार पर, प्रीमियम सहित रू. 2,839 करोड़ (रूपये दो हजार आठसौ उनचालीस करोड़) से अधिक नहीं, नकदी के लिए अधिमानी आधार पर, प्रीमियम सहित निर्धारित किया जा सकता है।

इसके आगे संकल्प किया जाता है कि सेबी सीआईडीआर विनियमन के अध्याय V के अंतर्गत विनियमन 164 की शर्तों के अनुसार निर्गम कीमत के निर्धारण की अद्यतन तिथि मंगलवार, 26 फरबरी, 2019 है ।

इसके आगे संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले ईक्यूटी शेयर सभी मामलों में बैंक के वर्तमान ईक्यूटी शेयर के साथ शामिल लाभांश के समरूप होंगे और दोनों नये जारी एवं निवेशक (कों) द्वारा धारित वर्तमान शेयर सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय V के विनियमन 167 के अंतर्गत यथा निर्धारित बशर्ते लॉक-इन आवश्यकता के अनुरूप होंगे और नये जारी ईक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज के उसी सूची में सूचीबद्ध किया जायेगा जहां बैंक के वर्तमान शेयर सूचीबद्ध किए जाते हैं।

इसके आगे संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से गठित या गठित होने वाली बोर्ड/समिति एतद द्वारा इस तरह के सभी कार्यों, व्यवहारों, तथ्यों एवं मामलें, जो अपने पूर्ण विवेक के अनुसार आवश्यक, उचित वांछनीय हो, उसके लिए प्राधिकृत करता है और किसी प्रश्न के समाधान, कठिनाई या संदेह, जो ईक्विटी शेयरों को जारी करने के संबंध में हो सकते है और इसके आगे इस तरह के सभी कार्यों, व्यवहारों, तथ्यों एवं मामलों को अंतिम रूप देने एवं सभी प्रलेखों के क्रियान्वयन एवं लिखत जो अपने पूर्ण विवेक के अनुसार आवश्यक, उचित, वांछनीय एवं समयोचित हो,बिना किसी आगे की सहमति की आवश्यकता के या शेयरधारकों के अनुमोदन या समाप्ति के लिए एवं इस उद्देश्य के लिए कि शेयरधारकों ने ऐसा अनुमोदन दिया होगा के संकल्प के प्राधिकार के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्राधिकृत हो सकता है।

इसके आगे संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल / समिति एतद द्वारा इसमें प्रदान की गई एक या किसी भी शक्तियों को प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यकारी निदेशक(कों) या अन्य अधिकारियों को प्रत्यायुक्त करने हेतु उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने हेतु प्राधिकृत किया जाता है

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते-**युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया**

ह./ -
बिक्रमजित सोम
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक : 25 फरवरी, 2019
स्थान: कोलकाता

टिप्पण एवं अनुदेश

1. यह सूचना उन सभी शेयरधारकों को जिनका नाम भौतिक प्रकार में शेयर रखने वाले लोगों के लिए बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में उल्लिखित है और डीमैट प्रकार में शेयर धारण करने वालों के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निपेक्षागार लिमिटेड (एनएसडीएल) और सीडीएसएल से प्राप्त लाभार्थी मालिकों की सूची में, शुक्रवार, 22 फरवरी, 2019 (**कट ऑफ तिथि**) तक, या तो निपेक्षागार / बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बाद में "**आरटीए**" के रूप में जाना जाता है) के पास पंजीकृत ई-मेल आईडी पर ईमेल द्वारा या बैंक / आरटीए के साथ पंजीकृत पते पर पंजीकृत पोस्ट /स्पीड पोस्ट /कूरियर द्वारा भेजा जा रहा है। यह सूचना बैंक के वेबसाइट www.unitedbankofindia.com और सीडीएसएल के वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगा। वे व्यक्ति जो कट ऑफ तिथि तक शेयरधारक नहीं हैं, वे इस सूचना को केवल जनकारी के उद्देश्य से प्राप्त समझेंगे।

2. शेयरधारक मतदान के किसी एक प्रकार अर्थात भौतिक बैलट या ई-वोटिंग का चयन कर सकते है। यदि शेयरधारक अपना वोट दोनों प्रकार के माध्यम से डालते हैं, तो ई-वोटिंग द्वारा किया गया मतदान मान्य होगा और भौतिक पोस्टल बैलट के माध्यम से किया गया मतदान अमान्य माना जाएगा।

3. शेयरधारक पोस्टल बैलट पर प्रॉक्सी द्वारा अपना मतदान नहीं कर सकते हैं।

4. संस्थागत शेयरधारक (अर्थात व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अलावा) विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर (रों) सहित बोर्ड रिजॉल्यूशन / अथॉरिटी लेटर आदि की प्रमाणित सत्य प्रति के साथ संविक्षक को संबोधित संलग्न बिजनेस उत्तर लिफाफा में विधिवत पूर्ण पोस्टल बैलट फॉर्म भेजेंगे जो मतदान देने के लिए प्राधिकृत हैं।

   इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए शेयरधारक इस सूचना में 'ई-वोटिंग' अनुभाग के तहत निर्देश सं. 17 का उल्लेख कर सकते हैं।

5. पोस्टल बैलट और ई-वोटिंग द्वारा मतदान के लिए वोटिंग की पात्रता हेतु निर्धारित कट ऑफ तारीख शुक्रवार 22 फरवरी, 2019 है। शेयरधारक द्वारा धारित प्रत्येक शेयर कट-ऑफ तिथि तक एक वोट धारण करेगा।

6. एक से अधिक फोलियो / डीमैट खातों वाले शेयरधारकों को प्रत्येक फोलियो / डीमैट खाते के लिए अलग-अलग मतदान प्रक्रिया का चयन करना होगा। अधिनियम की धारा 3(2 ई) के संदर्भ में, भारत सरकार के अलावा किसी भी शेयरधारक को बैंक की कुल प्रदत शेयर पूंजी का 10% से अधिक वोटिंग अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

7. पोस्टल बैलट फॉर्म के माध्यम से अपने वोट का उपयोग करने वाले शेयरधारकों को इस सूचना के साथ संलग्न बिजनेस उत्तर लिफाफा (पोस्टेज भुगतान) का उपयोग करें और इसे पोस्ट द्वारा भेजने से पहले इसे विधिवत सील करें। पोस्टल बैलट फॉर्म वाले मुहरबंद लिफाफे भी स्वीकार किए जाएंगे यदि शेयरधारक की व्यय पर किसी अन्य प्रकार अर्थात कूरियर, स्पीड पोस्ट इत्यादि द्वारा भेजा गया है। भौतिक पोस्टल बैलट फॉर्म में मतदान करने की इच्छा रखने वाले शेयरधारक ई-मेल द्वारा यह सूचना प्राप्त करता हैं तो वे उक्त फॉर्म को बैंक के वेबसाइट www.unitedbankofindia.com से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपनी लागत पर लिंक इनटाइम इडिंया प्राईवेट लिमिटेड, युनीट: युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सी-101, 247 पार्क, एल. बी. एस. मार्ग, मुम्वई-400 083 पर भेज सकते हैं।

8. पोस्टल बैलट फॉर्म में उचित कॉलम पर टिक मार्क (✓) लगाकर 'मैं/हम संकल्प की सहमति देता हूँ/देते है (के लिए)' कॉलम में स्वीकृति या 'मैं/हम संकल्प की असहमति देता हूँ/देते है (विरुद्ध)' कॉलम में अस्वीकृति को रिकॉर्ड कर अपनी सहमति या असहमति प्रदान करें। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त स्वीकृति या अस्वीकृति को वैध नहीं माना जाएगा।

9. आरटीए के पास पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार शेयरधारक द्वारा पोस्टल बैलट फॉर्म पर हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

10. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे पोस्टल बैलट फॉर्म को आमिट स्याही से भरें और पेंसिल जैसे मिटने योग्य लेखन माध्यमों का उपयोग न करें।

11. यदि शेयर संयुक्त रूप से धारण किए गए हैं, तो पोस्टल बैलट फॉर्म को प्रथम नामित संयुक्तधारक द्वारा पूर्ण एवं हस्ताक्षरित किया जाएगा। पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) धारक बैंक /आरटीए के पास पंजीकृत पीओए की पंजीकरण संख्या को पोस्टल बैलट फॉर्म पर उल्लेख करते हुए मतदान कर सकते हैं या पीओए की नोटराइज्ड प्रति संलग्न कर सकते हैं।

12. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे संविक्षक को संबोधित संलग्न बिजनेस उत्तर लिफाफा के अंदर पूर्ण पोस्टल बैलट फॉर्म के साथ कोई भी अन्य दस्तावेज (उल्लिखित बोर्ड के संकल्प /प्राधिकरण पत्रों के अलावा) न भेजें । यदि ऐसे किसी भी लिफाफे में किसी भी असंगत दस्तावेज पाया जाता है, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा और संविक्षक द्वारा उसे नष्ट कर दिया जाएगा।

13. संयुक्त शेयरधारकों की अधिसंख्या के बावजूद प्रत्येक फोलियो / क्लाइंट आईडी के लिए केवल एक पोस्टल बैलट फॉर्म होगा।

14. पोस्टल बैलट फॉर्म को अमान्य माना जाएगा यदि (i) यह अहस्ताक्षरित / अपूर्ण है (ii) न तो स्वीकृति और न ही अस्वीकृति का उल्लेख किया गया है (iii) सदस्य की स्वीकृति या अस्वीकृति को निसंदेह निर्धारित करना संभव नहीं है (iv) एक सक्षम प्राधिकारी ने शेयरधारक के वोटिंग अधिकारों को अपने पास रखने के लिए बैंक को लिखित निर्देश दिए है (v) यह इस तरह से विकृत या विचलित है कि इसकी वास्तविक फॉर्म की पहचान स्थापित नहीं की जा सकती है; (vi) शेयरधारक ने यहां किए गए संकल्प में कोई संशोधन किया है या अपने मतदान का उपयोग करते समय किसी शर्त को लगाया है; और /या (vii) बैंक द्वारा जारी किए गए फॉर्म के अलावा किसी अन्य फॉर्म का उपयोग किया जाता है;

15. एक पूर्ण पोस्टल बैलट फॉर्म की वैधता पर जांचकर्ता का निर्णय अंतिम होगा।

16. यदि आवश्यक हो तो शेयरधारक, बैंक के शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, चौथा तल, प्रधान कार्यालय, 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता-700 001 को या ई-मेल investors@unitedbank.co.in पर डुप्लिकेट पोस्टल बैलट फॉर्म के लिए अनुरोध कर सकते हैं। विधिवत पूर्ण की गई डुप्लिकेट फॉर्म जांचकर्ता तक प्राप्ति की अंतिम तारीख गुरूवार, 28 मार्च, 2019 को 05:00 बजे अपराह्न तक अवश्य पहुंच जाना चाहिए।

17. **ई-वोटिंग:**

ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 27 फरवरी, 2019 को 10.00 बजे पूर्वाहन शुरू होगी और गुरुवार, 28 मार्च, 2019 को 5.00 बजे अपराह्न समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक, जो कट ऑफ तारीख तक भौतिक फॉर्म या डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में शेयरों धारण किए हैं, वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते है। इसके बाद वोट के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को सीडीएसएल द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने हेतु शेयरधारकों के लिए निम्नलिखित अनुदेश है :-

(i) ई-मतदान के वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉगिन करें।

(ii) **"शेयरहोल्डर्स / मेम्बर्स"** पर क्लिक करें ।

(iii) अपना **यूजर आईडी** दर्ज करें।

क. सीडीएसएल के लिए: 16 अंकों का बेनिफीसरी आईडी

ख. एनएसडीएल के लिए: 8 अंकों के क्लाईट आईडी के बाद 8 अक्षर डीपी आईडी

ग. भौतिक फॉर्म में शेयर धारण करने वाले सदस्य बैंक के पास पंजीकृत फोलियो नं. दर्ज करें।

(iv) अब प्रदर्शित हुए **इमेज भेरीफिकेशन** को दर्ज करें और **"लॉगिंन"** पर क्लिक करें।

(v) यदि आप डीमैट फॉर्म में शेयर धारण करते हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉगिन करके हाल ही में किसी भी कंपनी/ संस्था के लिए मतदान किया है, तो आपके मौजूदा पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।

(vi) यदि आप प्रथम उपयोगकर्ता हैं तो निम्नलिखित निदेशों का पालन करें:
उचित बॉक्स में निम्नलिखित विवरणों को भरें:

डीमैट फॉर्म एवं भौतिक फॉर्म में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के लिए

पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए अपने 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक पैन की प्रविष्टि करें (भौतिक शेयरधारकों के साथ-साथ डीमैट शेयरधारकों दोनों के लिए लागू) ● जिन सदस्यों ने बैंक / डिपोजिटरी पार्टीसिपेंट के पास अपने पैन को अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने **नाम के पहले दो अक्षरों का उपयोग करें और पैन फिल्ड में 8 अंकों के क्रमानुसार संख्या का उपयोग करें।** ● **क्रमानुसार संख्या के 8 अंकों से कम होने के मामले मं शेयरधारक स्पष्ट अक्षरों में नाम के पहले दो अक्षरों के वाद जितने 0 की प्रविष्टि आवश्यक है उसे दर्ज करें।** अर्थात यदि आपका नाम क्रम संख्या 1 के साथ रमेश कुमार है तो पैन फील्ड में RA00000001 प्रविष्ट करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि	**लॉगिन करने के क्रम में आपके डीमैट खाते या बैंक रिकोर्ड में किए गए रिकॉर्ड के अनुसार लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि** (दिन/माह/वर्ष प्रारुप में) को दर्ज करें । ● यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या बैंक के पास रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, तो कृपया अनुदेश (iii) के अनुसार लाभांश बैंक विवरण फिल्ड में अपनी सदस्यता आईडी/ फोलियो संख्या की प्रविष्टि करें ।

(vii) उचित रूप से इन विवरणों को भरने के बाद **"सवमिट"** टैब पर क्लिक करें।

(viii) भौतिक फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य सीधे कंपनी चयनित स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। हालांकि, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य अब 'पासवर्ड क्रियेसन मेन्यु' तक पहुंच जाएंगें जिसमें उन्हें अनिवार्य रूप से नया पासवर्ड क्षेत्र में अपना लॉगिन पासवर्ड प्रविष्टि करने की आवश्यकता होगी। कृपया ध्यान दें कि किसी भी अन्य कंपनी /संस्था के संकल्पों के लिए मतदान के लिए डीमैट धारक द्वारा इस पासवर्ड का भी उपयोग किया जाएगा। जिसपर वे मतदान करने के पात्र हैं। बशर्ते कि कंपनी/संस्था सीडीएसएल प्लेटफार्म के माध्यम से ई-मतदान के विकल्प का चयन करता हो । यह दृढ़तापूर्वक अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने पासवर्ड को साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए भरसक प्रयास करें।

(ix) भौतिक फॉर्म में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए इस विवरण को केवल इस सूचना में शामिल संकल्पों पर रिमोट ई मतदान के लिए उपयोग किया जा सकता है।

(x) **युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया** को वोट करने हेतु **ईवीएसएन** पर क्लिक करें।

(xi) मतदान पृष्ठ पर आप **"रिजोल्यूशन डिस्कृपशन"** देखेंगे और उसी के एवज में मतदान के लिए **"हा"** या **"नहीं"** विकल्प होगा। अपने इच्छा अनुसार विकल्प **"हाँ"** या **"नहीं"** का चयन करें। विकल्प **"हाँ"** का तात्पर्य रिजोल्यूशन पर आपकी स्वीकृति और विकल्प **"नहीं"** का तात्पर्य रिजोल्यूशन पर आपकी अस्वीकृति से है।

(xii) यदि आप पूरे रिजोल्यूशन ब्यौरा को देखना चाहते हैं तो **"रिजोल्यूशन फाइल लिंक"** पर क्लिक करें।

(xiii) रिजोल्यूशन का चयन करने के बाद आप वोट करने का फैसला किया है, तो **"सबमिट"** पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो **"ओके"** पर क्लिक करें और अपने वोट को बदलने के लिए **"कैंसल"** पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को संशोधित करें।

(xiv) रिजोल्यूसन पर एक बार आप अपना वोट **"कनफर्म"** कर देते है, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xv) वोटिंग पृष्ठ पर **"क्लिक हियर टू प्रिंट"** विकल्प पर क्लिक कर आप अपने द्वारा किये गये मतदान का प्रिंट आउट ले सकते हैं।

(xvi) यदि डीमैट खाताधारक अपना पासवर्ड भूल गए हों तो वह अपना यूजर आईडी और इमेज सत्यापन कोड दर्ज करेगा और **"फोर्गोट पासवर्ड"** पर क्लिक करेगा और प्रणाली द्वारा मांगा गया विवरण दर्ज करेगा।

(xvii) ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन सही पासवर्ड के साथ कुंजीपट्टल पर पांच असफल प्रयासों के बाद अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको इसे रीसेट करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध 'फोर्गोट पासवर्ड' विकल्प पर जाने की आवश्यकता होगी।

(xviii) आपकी लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड उस कंपनियों द्वारा लाये गए रिजोल्यूशन (ओं) के ई वोटिंग के लिए विशेष रूप से किया जा सकता है, जिनमें आप शेयरधारक हैं।

(xix) सदस्यगण सीडीएलएस के मोबाइल ऐप **"एम वोटिंग"** का उपयोग करके भी अपना मतदान कर सकते हैं। एम वोटिंग ऐप को क्रमश: गूगल प्ले स्टोर, ऐप्प स्टोर और एन्ड्रायेड के लिए विंडोज फोन स्टोर, आईओएस और विंडोज उपयोगकर्ता से डाउनलोड किया जा सकता है।

(xx) गैर व्यक्तिगत सदस्यों और संरक्षकों के लिए टिप्पण

- गैर व्यक्तिगत सदस्यों (अर्थात व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अलावा) और संरक्षक को www.evotingindia.com पर लॉगिन करने की आवश्यकता होगी और स्वयं को कॉर्पोरेट के रूप में पंजीकृत करेंगे।
- संस्था के मुहर और हस्ताक्षर वाले पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई मेल किया जाना चाहिए।
- लॉगिन ब्यौरा प्राप्त होने के बाद प्रशासनिक लॉगिन तथा पासवर्ड का उपयोग करते हुए एक अनुपालन यूजर बनाए। अनुपालन यूजर खाता (ओं) को लिंक करने में सक्षम होंगे, जिसपर वे वोट देना चाहते है।
- खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल की जाएगी और खातों के अनुमोदन होने पर वे अपने वोट देने में सक्षम हो जाएंगे।
- संरक्षक के पक्ष में जारी किए गए बोर्ड संकल्प या पॉवर अटार्नी (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो, तो इसे सत्यापित करने हेतु जांचकर्ता के लिए प्रणाली में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए ।

(xxi) ई वोटिंग और लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड बनाने के संबंध में यदि आपके पास कोई मुद्दा /प्रश्न है तो आप **www.evotingindia.com** पर हेल्प खंड में उपलब्ध एफएक्यू और ई वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या **18002005533** पर **सीडीएसएल ई वोटिंग हेल्प डेस्क** से संपर्क कर सकते हैं या **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर ई मेल का सकते हैं या **श्री मलय विश्वास**, क्षेत्रीय प्रमुख, सीडीएसएल, 22 कैमक स्ट्रीट, ब्लॉक ए, प्रथम तल, कोलकाता – 700016 या **helpdesk.evoting@cdslindia.com** या निवारण हेतु **9073980266** से संपर्क कर सकते हैं।

व्याख्यात्मक विवरण

इस इश्यू का पृष्ठभूमि और उद्देश्य:

बैंक बैंकिंग एवं संबंधित गतिविधियों के व्यवसाय करता है। वर्तमान में, बैंक की प्राधिकृत पूंजी 8500 करोड़ रुपये है। 31 दिसम्बर, 2018 तक बैंक की प्रदत इक्विटी शेयर पूंजी 3036.69 करोड़ रुपये थी। जिसमें 2801.49 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा धारित है। बैंक की कुल प्रदत पूंजी का 92.25% निर्मित करता है।

31 दिसम्बर, 2018 को भारत सरकार में बैंक की इक्विटी पूंजी में रु. 2159 करोड़ का निवेश किया जिसके बदले में बैंक ने भारत सरकार को 11 फरवरी, 2019 को 1,81,73,40,067 इक्विटी शेयर आवंटित किये। इस आवंटन के पश्चात बैंक की प्रदत इक्विटी शेयर पूंजी रु. 4854.03 करोड़ है जिसमें रु. 4618.83 करोड़, यानि बैंक की कुल प्रदत पूंजी का 95.15% भारत सरकार द्वारा धारित है।

इसके अलावा चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी शेयर खरीद योजना, 2018 के कार्यान्वयन के द्वारा बैंक के पात्र कर्मचारियों को 2,92,02,589 इक्विटी शेयर आबंटित कर अब तक 30.81 करोड़ रुपये जुटाए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में उत्तरदायी और जिम्मेदार पीएसबी के लिए सुधार एजेंडा हेतु बैंक की वचनबद्धता के आधार पर, उद्यमीमित्र (एमएसएमई के उद्देश्य से) के रूप में ग्राहक जवाबदेही, बैंकिंग जिम्मेदारी, क्रेडिट ऑफ-टेक, पीएसबी को कवर करते हुए उन्नत पहुंच एवं सेवा उत्कृष्टता (ईएएसई) के उद्देश्य से, केंद्र सरकार के ब्रांड पीएसबी के लिए कर्मियों के विकास से वित्तीय समावेशन एवं डिजिटलीकरण और परिणाम (एचआर) को सुनिश्चित कर मजबूत बनाने के लिए प्रीमियम सहित रु.18.22/- प्रति शेयर की मूल्य पर प्रति 10/- रुपये की 144,56,64,105 इक्विटी शेयरों का वरीयतापूर्ण आबंटन के एवज में 2634 करोड़ रुपये की राशि लागायी गई है।

पूंजीगत आवश्यकताओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से 31.03.2019 तक जोखिम आधारित आस्तियों को कम कर 58000 करोड़ रुपये से 62000 करोड़ रुपये के बीच रखने के लिए अपने प्रमोटर की सिफारिशों के अनुरूप बैंक के विचारणीय निर्णय को ध्यान में रखते हुए बैंक को आरबीआई के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के अंतर्गत रखा गया, बैंक ने अपने आरडब्ल्यूए के स्तर को मार्च 31, 2018 को रु. 63542 करोड़ के स्तर से 31 दिसम्बर, 2018 को रु. 59299 करोड़ तक घटाया है। परिणाम स्वरूप बैंक का लोन बुक 31 मार्च, 2018 के रु. 68692 करोड़ की तुलना में रु. 69286 करोड़ पर स्थिर रहा जिसकी वजह से लाभ प्रदता पर इसका असर पड़ा। 31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त अवधि के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुसार बैंक ने नियामक बेंचमार्क सीआरएआर 10.875% (सीसीबी सहित) के एवज में बेसल-III पूंजी मानदंडों के तहत टायर -1 पूंजी अनुपात 7.10% और जोखिम आधारित आस्तियाँ अनुपात (सीआरएआर) के कुल पूंजी 9.99% रिपोर्ट किया है।

अर्थव्यवस्था के साथ-साथ बैंकिंग क्षेत्र में हालिया विकास के संदर्भ में बॉन्ड उपज में अस्थिरता, बिजली क्षेत्र में निरंतर दबाव और एनबीएफसी क्षेत्र में हालिया दबाव, वे सभी जिनमें बैंक के पास पर्याप्त एक्सपोजर था, एनसीपी खातों के संदर्भ में फ्रेश स्लिपेज के माइग्रेशन सहित इंसोल्वेंसी एवं बैंकरप्टसी कोड, 2016 के अंतर्गत संकल्पों के लिए एनसीएलटी हेतु अधिक प्रावधान की आवश्यकताएं, मार्च 2019 तक आईएफआरएस लेखांकन मानदंडों में परिवर्तन,बॉन्ड पर कूपन का भुगतान और बैंक की पूंजीगत आधार को मजबूत करने की आवश्यकता को इसके दीर्घकालिक व्यापार योजनाओं के समर्थन करने और बेसल-III पूंजी मानदंडों के सभी पारामीटरों को अनुपालन में रखने के लिए बैंक ने केंद्र सरकार से 2,800 करोड़ रुपये की बैंक में कॉमन इक्विटी पूंजी लगाने के लिए अनुरोध किया था जो इसके भविष्य के विकास हेतु प्रोत्साहन के साथ-साथ सुचारुप से परिचालन को सुनिश्चित करेगा। इसके उत्तर में, भारत सरकार ने अपने पत्र F. No. 7/23/2019-BOA-1, दिनांक 19 फरवरी, 2019 के द्वारा अधिमानी आबंटन के माध्यम से बैंक के कॉमन इक्विटी पूंजी में रु. 2,839 करोड़ तक की पूंजी लगाने की अपनी मंशा को सूचित किया है जिसका उपयोग बैंक द्वारा अपने टायर -1 पूंजी और समस्त सीआरएआर स्थिति को बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

ये समस्त अधिमानी इश्यू के अनुपालन के लिए भारत सरकार, बैंक के प्रमोटर को आवंटित किया गया है।

चूंकि समस्त इश्यू को भारत सरकार, बैंक के अधिकतर शेयरधारकों और प्रमोटरों के लिए बनाया जाना है, इस इश्यू के बाद इसके नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा।

इस इश्यू मूल्य को इस तिथि तक संशोधित के अनुरूप सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय ५ के तहत विनियमन 164 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा । इश्यू मूल्य की गणना के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक तिथि मंगलवार, 26 फरवरी, 2019 है (अर्थात विशेष प्रस्ताव के पारित होने की तारीख से 30 दिन पहले)। चूंकि विशेष प्रस्ताव पोस्टल बैलट के माध्यम से पारित किया जाएगा, विधिवत पूर्ण पोस्टल बैलट फॉर्म या ई-वोटिंग की प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात, गुरूवार, 28 मार्च, 2019 को तदनुसार इस संकल्प को पारित तारीख समझा जाएगा। इस इश्यू मूल्य की प्रासंगिक तिथि अर्थात मंगलवार, 26 फरवरी, 2019 पर गणना की जाएगी और इसे अंग्रेजी, बंगाली और हिंदी समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा शेयरधारकों के लिए अधिसूचित किया जाएगा और बीएसई लिमिटेड तथा भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को प्रसारित किया जाएगा और बैंक तथा ई-वोटिंग एजेंसी अर्थात सीडीएसएल की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

अधिमान्य इश्यू के पहले का शेयरहोल्डिंग पैटर्न:

क्र. सं..	**श्रेणी**	**इश्यू के पहले**	
		शेयरों की संख्या	**शेयरधारित %**
क.	**प्रमोटर** भारत सरकार	4618836151	95.15
ख.	**गैर प्रमोटर** लोक धारित शेयर	235194141	4.85
	कुल	**4854030292**	**100.00**

इश्यू मूल्य और भारत सरकार को आबंटित किए जाने वाले शेयरों की संख्या, बैंक के निर्धारण के पश्चात पोस्ट इश्यू शेयरहोल्डर को समाचार पत्र विज्ञापन, स्टॉक एक्सचेंज प्रसार के माध्यम से और बैंक तथा उक्त सीडीएसएल की वेबसाइटों पर अपलोड कर केअधिसूचित किया जाएगा।

सेबी आईसीडीआर विनियमन के अध्याय v के अनुसार अधिमान्य आबंटन किया जाएगा।

निदेश मंडल ने 25 फरवरी, 2019 को अधिमानी आवंटन द्वारा पूंजी जुटाने एवं इस हेतु पोस्टल बैलट के परिचालन का अनुमोदन किया।

सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 163(1)(ई) एवं विनियम 170 के संदर्भ में, उपर्युक्त विशेष प्रस्ताव के अनुसार में आबंटन इस संकल्प के पारित होने की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। यह हर नियामक प्राधिकरण या केंद्र सरकार से अनुमोदन या अनुमतियों की प्राप्ति के अधीन होगा। यदि इस आबंटन के लिए आवश्यक कोई अनुमोदन लंबित रहता है, तो पंद्रह दिनों की इस अवधि को अनुमोदन या अनुमति की तारीख से गिना जाएगा, जैसा स्थिति हो।

बैंक सेबी आईसीडीआर विनियमन के प्रावधानों के संदर्भ में इक्विटी शेयरों की मूल्य को पुन: गणना करने का प्रयास करता है जहां इसे करने की आवश्यकता होती है। यदि सेबी आईसीडीआर विनियमन में निर्धारित समय के भीतर मूल्य की पुनर्गणना के कारण देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो निर्दिष्ट प्रतिभूतियां तब तक लॉकड इन रहेंगी जब तक केंद्र सरकार द्वारा इस राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

भारत सरकार को आबंटित समस्त इक्विटी शेयरों को डिमैटरियलाइज्ड फॉर्म में रखा जाएगा।

सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 167(6) के अनुसार, भारत सरकार के समस्त पूर्व-अधिमान्य होल्डिंग्स को वर्तमान अधिमान्य आबंटन के अंतर्गत आबंटित शेयरों के लिए ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से 6 माह तक प्रासंगिक तिथि से लॉकड इन कर दिया जाएगा। विनियमन 167 (1) के मामले में, भारत सरकार को आवंटित नये शेयर, वर्तमान अधिमानी आवंटन के तहत आवंटित शेयरों के लिए

ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए बंद कर दिया जाएगा जो बैंक की प्रदत पूंजी का अधिकतम 20% होगा और प्रदत पूंजी के 20% से अधिक आवंटित किए गए शेयरों को ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से 1 वर्ष तक के लिए बंद कर दिया जाएगा।

बैंक के इक्विटी शेयरों को छ: सप्ताह से अधिक के लिए सूचीबद्ध किया गया है और तदनुसार, सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियमन 164 (3) और 167 (5) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

बैंक के इक्विटी शेयरों का अधिकतर कारोबार स्टॉक एक्सचेंज पर किया जाता है, जिस पर वे सूचीबद्ध है अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड।

सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियमन 163 (2) के तहत आवश्यक लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र संगत तिथि 26 फरवरी, 2019 को या उसके बाद जारी किया जाएगा और पोस्टल बैलेट के तहत मतदान पूर्ण होने के तिथि तक सभी कार्य दिवसों पर बैंक के प्रधान कार्यालय, 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता - 700001 में 12.00 (अपराह्न) से 04.00 (अपराह्न) के बीच निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र बैंक की वेबसाइट - www.unitedbankofindia.com और सीडीएसएल www.evotingindia.com की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर अमुर्तिकृत रूप में हैं और बैंक, सेबी सूचीबद्ध विनियमन के तहत निर्धारित इक्विटी शेयरों की निरंतर सूचीबद्धता की शर्तों के अनुपालन करता है।

भारत सरकार ने संगत तिथि के पूर्ववर्ती 6 महीने के दौरान बैंक के किसी भी इक्विटी शेयर को नहीं बेचा है।

न तो बैंक न ही कोई निदेशक या प्रमोटर ईरादतन चूककर्ता है या भगोड़ा आर्थिक अपराधी है।

सेबी सूचीबद्ध विनियम के विनियमन 41(4) और सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय ५ के मामले में, बैंक अधिमानी आधार पर भारत सरकार से इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित मुद्दे के लिए विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की मंजूरी मांगता है।

प्रस्तावित विशेष संकल्प, यदि पारित किया गया, तो उल्लिखित निर्गमन (जारी) और आवंटन करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को अधिकृत किया जाएगा। इस मुद्दे की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन और विवेक पूर्ण अधिकार प्रदान करने की उपर्युक्त समर्थकारी संकल्प की अतएव सिफारिश की जाती है। अत: उपर्युक्त प्रस्ताव के लिए आपकी सहमति का अनुरोध किया गया है।

बैंक के किसी भी निदेशक या बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, संबद्ध या रुचि, वित्तीय या अन्यथा, उपरोक्त विशेष प्रस्ताव को पारित करने में नहीं रखते हैं, बैंक में उनके शेयरहोल्डिंग, यदि कोई हो, को छोड़कर।

अतिरिक्त टिप्पणी:

वर्तमान में केंद्र सरकार, बैंक के प्रमोटर बैंक के प्रदत शेयर पूंजी का 75% से अधिक इक्विटी शेयर अपने पास धारण करता है इस लिए सैबी (सबस्टानशीयल अक्वीसीसन आफ शेयर्स एण्ड टेकओवर) रेगुलेशनम 2011 के तहत सार्वजनिक घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। बैंक उचित समय पर भारत सरकार की हिस्सेदारी को कम करने की उम्मीद रखता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते- **युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया**

ह./-
बिक्रमजित सोम
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक : 25 फरवरी, 2019
स्थान: कोलकाता

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया / United Bank of India

प्रधान कार्यालय:11 हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता - 700001 / **Head Office**:11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata- 700001

दूरभाष /Telephone: (033) 2248 7471 **फैक्स/Fax:** (033) 2231 1704

वेबसाइट/Website: www.unitedbankofindia.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Dear Shareholder(s),

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) to seek consent of Shareholders of United Bank of India (hereinafter referred to as "the Bank") to pass the Special Resolution by way of Postal Ballot including voting by electronic means ("e-voting").

The proposed Special Resolution and Explanatory Statement, stating the material facts and reasons thereof are annexed hereto.

The Bank has appointed Smt. Malati Kumar (COP No. 10980) or failing her Smt Ashwini Vartak (COP No. 16723) of M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, Thane as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

Shareholders desiring to exercise their voting right through Postal Ballot are requested to carefully read the notes and instructions printed in this Notice and in the Postal Ballot Form and return the Postal Ballot Form duly completed in the enclosed Business Reply Envelope addressed to the Scrutinizer not later than close of working hours i.e. 5.00 P.M., on Thursday, March 28, 2019. The Bank shall bear the postal charges for the same. Shareholders at their own expenses may select any other modes of sending the physical Postal Ballot Forms.

The Bank is also providing e-voting facility for voting on the Special Resolution using the e-voting platform of Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

Shareholders desiring to opt for e-voting facility are requested to read the notes to the Postal Ballot Notice and instructions given thereunder for e-voting purpose. References to Postal Ballot in this Notice shall include votes received electronically.

The Scrutinizer will submit her report to the Managing Director & Chief Executive Officer ("MD&CEO") or any other Wholetime Director of the Bank as authorized by the Board of Directors after completion of the scrutiny of the Postal Ballots and the result of the voting by Postal Ballot will be announced on or before 5.00 P.M., Saturday, March 30, 2019 at the Bank's Head Office and intimated to the stock exchanges and hosted on the website of the Bank, www.unitedbankofindia.com and CDSL.

Voting by Postal Ballot shall commence on Wednesday, February 27, 2019 and end on Thursday, March 28, 2019. Duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than 05:00 P.M. on Thursday, March 28, 2019 to be eligible for being considered. Postal Ballots received after the aforesaid deadline shall stand rejected. The e-voting portal shall be blocked by CDSL immediately after 05:00 P.M. on Thursday, March 28, 2019.

The Special Resolution, if passed by requisite majority, shall be deemed to have been passed on Thursday, March 28, 2019 i.e. the last date fixed by the Bank for receipt of duly completed Postal Ballot forms and e-voting.

Item No. 1

To create, offer, issue and allot such number of equity shares of face value of Rs.10/- each (Rupees Ten only) at such price including premium, if any, as may be determined in accordance with the relevant Regulations of the SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations") to the President of India acting on behalf of the Government of India on preferential basis, not exceeding Rs. 2,839 crore in aggregate (hereinafter referred to as **"the Issue"**), by **Special Resolution**.

To consider the following resolution and if deemed fit, pass the same as a **Special Resolution** -

"RESOLVED THAT, subject to the applicable provisions of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("Act"), Banking Regulation Act, 1949, as amended from time to time, United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 2010 ("Bank Regulations"), SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations"), SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and any amendment thereto or re-enactment thereof, Ministry of Finance letter F. No. 7/23/2019-BOA-1 dated .February 19, 2019 approval by the Board of Directors of the Bank on February 25, 2019 and such approvals, consents, sanctions of the Government of India ("GoI"), Reserve Bank of India ("RBI"), Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), the Stock Exchanges on which the Bank's shares are listed, and/or such other authority as may be required and applicable in this regard, and subject to such terms and conditions and/or modifications thereto as may be prescribed while granting such approvals by such authorities, and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank (**"Board of Directors"** shall include any **"Committee"** constituted or to be constituted by the Board in this regard), such other Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Circulars, Notifications, Directions as may be applicable from time to time or any modification thereto or re-enactment or re-issuance thereof, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors to create, offer, issue and allot to the President of India acting on behalf of the GoI, such number of equity shares of Rs.10/- each at such price as may be determined in accordance with Regulation 164 of Chapter V of the SEBI ICDR Regulations not exceeding Rs. 2,839 cr. (Rupees Two Thousand Eight Hundred Thirty Nine crore) including premium, on preferential basis for cash.

RESOLVED FURTHER THAT, the Relevant Date in terms of Regulation 164 under Chapter V of the SEBI ICDR Regulations for the purpose of determination of the Issue Price is Tuesday, February 26, 2019.

RESOLVED FURTHER THAT, the equity shares to be issued shall rank pari-passu in all respects including dividend with the existing equity shares of the Bank and both the newly issued and the existing shares held by the investor(s) be subject to the lock-in requirements as prescribed under Regulation 167 of Chapter V of the SEBI ICDR Regulations, and the newly issued equity shares be listed on the Stock Exchanges on which the existing equity shares of the Bank are listed.

RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board/ Committee formed or to be formed, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as it may in its absolute discretion deem fit, proper, necessary, desirable and expedient without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or authorise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed

to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.

RESOLVED FURTHER THAT, the Board of Directors/Committee be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or such other functionary to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors
For **United Bank of India**

Sd/-
Bikramjit Shom
Company Secretary & Compliance Officer

Dated : 25th February, 2019
Place: Kolkata

NOTES AND INSTRUCTIONS

1. The Notice is being sent to all Shareholders whose names appear in the Register of Shareholders of the Bank for those holding shares in physical mode, and in the List of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited (NSDL) and CDSL for those holding shares in Demat mode, as on Friday, February 22, 2019 (**Cut-off Date**),either by email to the email ids registered with the Depository/ Bank's Registrar and Share Transfer Agent, Link Intime India Pvt. Ltd. ("RTA"), or by Registered Post/Speed Post/Courier at the address registered with the Bank/RTA. The Notice shall also be available on the Bank's website, www.unitedbankofindia.com and on the website of CDSL www.evotingindia.com. A person who is not a Shareholder as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.
2. Shareholders can opt for any one mode of voting, i.e. either by physical ballot or e-voting. In case, Shareholders cast their votes through both the modes, voting done by e-voting shall prevail and vote cast through physical postal ballot form shall be treated as invalid.
3. Shareholders cannot cast his/her vote by proxy on Postal Ballot.
4. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) shall send duly completed Postal Ballot Form accompanied by a certified true copy of Board Resolution / Authority Letter etc. with attested specimen signature(s) of the duly authorised signatory(ies) who are authorized to vote, in the enclosed postage prepaid Business Reply Envelope addressed to the Scrutinizer.

   For electronic voting, the shareholders may kindly refer to instruction no. 17 under the section 'e-voting' in this Notice.
5. The cut-off date fixed for eligibility of voting is Friday, February 22, 2019 both for voting by Postal Ballot and e-voting. Each share held by the shareholder as on the cut-off date shall carry one vote.
6. Shareholders holding multiple folios / demat accounts shall choose the voting process separately for each folio/demat account. In terms of Section 3(2E) of the Act, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total paid up share capital of the Bank.
7. Shareholders casting their votes through Postal Ballot Form should use the Business Reply Envelope (postage paid) annexed to this Notice and duly seal the same before sending it by post. Sealed envelopes containing the Postal Ballot Form shall also be accepted if sent by any other mode e.g. courier, speed post etc. at the expense of the Shareholder. Shareholders receiving this Notice by e-mail desirous of voting in physical Postal Ballot Form may download the said Form from the Bank's website www.unitedbankofindia.com and send the same to the Scrutinizer at Link Intime India Private Limited, Unit : United Bank of India, C-101, 247 Park, L.B.S Marg, Mumbai - 400 083, at their own cost.
8. The consent must be accorded by recording the assent in the column 'I assent to the resolution (For)' or dissent in the column 'I dissent to the resolution (Against)' by placing a tick mark (✓) in the appropriate column in the Postal Ballot Form. The assent or dissent received in any other form shall not be considered valid.
9. The Postal Ballot Form should be signed by the Shareholder as per the specimen signature registered with the RTA.
10. Shareholders are requested to fill the Postal Ballot Form in indelible ink and not by using erasable writing medium(s) like pencil.

11. In case shares are jointly held, the Postal Ballot Form shall be completed and signed by the surviving first joint holder. Holders of Power of Attorney (PoA) may vote on the Postal Ballot Form mentioning the Registration No. of the PoA registered with the Bank/RTA or attach notarized copy of the PoA.

12. Shareholders are requested not to send any document (other than the Board Resolution / Authority Letter as mentioned) along with the completed Postal Ballot Form inside the enclosed Business Reply Envelope addressed to the Scrutinizer. Should any extraneous matter be found in any such envelope, the same shall not be considered and shall be destroyed by the Scrutinizer.

13. There will be only one Postal Ballot Form for each Folio/ Client Id irrespective of the number of joint Shareholder(s).

14. Postal Ballot Forms shall be considered invalid if (i) it is unsigned/ incomplete (ii) Neither assent nor dissent is mentioned (iii) it is not possible to determine beyond any doubt, the assent or dissent of the Member, (iv) a competent authority has given directions in writing to the Bank to freeze the voting rights of the Shareholder, (v) it is defaced or mutilated in such a manner that its identity as a genuine form cannot be established; (vi) the Shareholder has made any amendment to the resolution set out herein or imposed any condition while exercising his vote; and/ or (vii) the form other than the one issued by the Bank is used;

15. The Scrutinizer's decision on the validity of a completed Postal Ballot Form shall be final.

16. Shareholders may request for duplicate Postal Ballot Form, if so required, by sending the request to Bank's **Share Department & Investor Grievances Cell**, 4th Floor, Head Office, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001, or by email to investors@unitedbank.co.in. The Duplicate Form duly completed should reach the Scrutinizer not later than 5:00 P.M. on Thursday, March 28, 2019 being the last date for receiving the same.

17. **E-VOTING:**

    The e-voting period shall begin at 10.00 a.m. (IST) on Wednesday, February 27, 2019 and end at 5.00 p.m. (IST) on Thursday, March 28, 2019. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

    The instructions for shareholders voting electronically are as under:

    i. Log on to the e-voting website www.evotingindia.com

    ii. Click on "**Shareholders / Members**".

    iii. Enter your **User ID.**

        a) For CDSL: 16 digits beneficiary ID.

        b) For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID.

        c) Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

    iv. Enter the **Image Verification** as displayed and Click on "**Login**".

    v. If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company/entity, then your existing password is to be used.

vi. If you are a first time user follow the steps given below -

Fill up the following details in the appropriate boxes:

For Shareholders holding shares in Demat Form and Physical Form

PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric **PAN** issued by Income Tax Department (Applicable to both demat shareholders as well as physical shareholders) ● Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the **first two letters of their name and the last 8 digits of the sequence number in the PAN field.** ● **In case the sequence number is less than 8 digits, shareholders should enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters.** E.g. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
Dividend your Bank Details or DOB	Enter the **Dividend Bank Details or Date of Birth** (in dd/mm/yyyy format) as recorded in demat account or in the Bank records in order to login. ● If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id/ folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iii).

vii. After entering these details appropriately, click on **"SUBMIT"** tab.

viii. Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password shall also be used by the demat holders for voting on the resolutions of any other company/entity they are eligible to vote, provided that company/entity opts for e-voting on the CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

ix. For members holding shares in physical form, the details can be used only for remote e-voting on the resolution contained in this Notice.

x. Click on the **EVSN** of United Bank of India to vote.

xi. On the voting page, you will see **"RESOLUTION DESCRIPTION"** and against the same the option **"YES/NO"** for voting. Select the option **"YES"** or **"NO"** as desired. The option **"YES"** implies that you assent to the Resolution and option **"NO"** implies that you dissent to the Resolution.

xii. Click on the **"RESOLUTIONS FILE LINK"** if you wish to view the entire Resolution.

xiii. After selecting the resolution you have decided to vote on, click on **"SUBMIT"**. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on **"OK"**, else to change your vote, click on **"CANCEL"** and accordingly modify your vote.

xiv. Once you **"CONFIRM"** your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

xv. You can also take print out of the voting done by clicking on **"Click here to print"** option on the Voting page.